

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग-02

संख्या- 1(2)/2018/05/14/2018

देहरादून : दिनांक : 07 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-787/1/2015-05/32/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा श्री अमिताभ मैत्रा, निदेशक (वित्त) को पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के पद पर 03 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक जो जो भी पहले हो तक नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

2- पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की धारा-34(F) के प्राविधानों के अधीन श्री अमिताभ मैत्रा, निदेशक (वित्त), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 को सेवावधि पूर्ण करने की तिथि से 06 माह का सेवाविस्तार दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध नियुक्ति आदेश संख्या-787/1/2015-05/32/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015 के अनुसार यथावत रहेंगे।

(राधिका झा)
सचिव

संख्या-1/75/1(2)/2018/05/14/2018 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल।
8. विद्युत निरीक्षक, हल्द्वानी।
9. श्री अमिताभ मैत्रा, निदेशक (वित्त), पिटकुल।
10. प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव